प्रेषक,

बी0के0 त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
7, वाला कदर रोड, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 01 अक्टूबर, 2015

विषय उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से अनुदान की धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नियमावली के प्रावधानों के अनुसार शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग/ उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष समिति की बैठक दिनांक 16.09.2015 को सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों को उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित धनराशि अनुदान के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0 सं0	संस्था का नाम एवं पता तथा पदाधिकारी का नाम	अनुदान दिये जाने का प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4
1	शिवम जनकल्याण शिक्षा समिति, 624, मलूकपुर बजरिया, बरेली- 243001 अध्यक्ष- श्रीमती पुष्पा पाण्डेय	जनपद बरेली के आंवला तहसील में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)
2	श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान, ग्राम व पोस्ट पिण्डी, देवरिया। सचिव - श्री नित्यानंद शर्मा	जनपद देवरिया के विकास खण्ड लार, भागलपुर, रूदपुर, सलेमपुर, रामपुर कारखाना में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु।	रूपये दो लाख मात्र। (रूपये एक-एक लाख की दो किस्तों में)

2. अत: अनुरोध है कि कृपया समिति के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में उपर्युक्त स्वैच्छिक संगठनों को राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष से प्रथम किस्त की धनराशि रूपये एक-एक लाख शासनादेश संख्या - सीपी 1004/29-8-2004- सीपी 16/2003, दिनांक 13

2....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अक्टूबर, 2006 के साथ संलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त दिनांक 25 सितम्बर, 2006 के प्रस्तर-7 की व्यवस्थानुसार 15 दिवसों के भीतर अवमुक्त करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3. अनुदान की उक्त धनराशि का दुरूपयोग संस्था द्वारा नहीं किया जायेगा एवं शासन द्वारा निर्धारित नियमों/नीति में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही धनराशि का व्यय/सदुपयोग किया जायेगा।

भवदीय,

बी0के0 त्रिपाठी
विशेष सचिव।

संख्या- 27/2015/एनजीओ 27(1)/84-2-2015-सीपी 16/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) जिलाधिकारी, बरेली/देवरिया।
(3) निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोमतीनगर, लखनऊ।
(4) जिला पूर्ति अधिकारी बरेली/देवरिया।
(5) अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, बरेली/देवरिया (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग)।
(6) वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 27/2015/एनजीओ 27(2)/84-2-2015-सीपी 16/2003 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया स्वीकृत धनराशि में से प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो जाने के तीन माह के भीतर शासनादेश संख्या सीपी 776/84-2-2008-सीपी 16/2003, दिनांक 17 सितम्बर, 2008 के प्रस्तर 2 के उपप्रस्तर (4) में निर्धारित फांट के अनुसार धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र, प्रमाण सहित शपथ पत्र के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें। उसके संतुष्ट होने की दशा में स्वीकृत धनराशि की द्वितीय किस्त निर्गत की जायेगी :-

(1)श्रीमती पुष्पा पाण्डेय,अध्यक्ष, शिवम जनकल्याण शिक्षा समिति, 624,मलूकपुर बजरिया, बरेली।
(2)श्री नित्यानंद शर्मा, सचिव, श्याम कवि लोक कल्याण संस्थान, ग्राम व पोस्ट पिण्डी, देवरिया।

आज्ञा से,

राजेन्द्र मणि त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in